

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

आज दिनांक 06-05-2021 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय जनपद बिजनौर द्वारा जजी चोक बिजनौर से कोविड-19 के दृष्टिगत फायर ब्रिगेड व नगर पालिका की गाड़ियों को सैनेटाइजेशन हेतु हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व अन्य जगह को सैनिटाइज करवाया गया।



थाना नगीना:- थाना नगीना पुलिस द्वारा थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/21 अन्तर्गत धारा 376/506/509/511 भादवि में नामजद अभियुक्त शाकिर पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कायस्थी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को डबल फाटक चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना अफजलगढ़- थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा थाना अफजलगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 128/21 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट से सम्बन्धित अभि0 आकाश पुत्र ब्रह्म सिंह नि0 ग्राम अनवरपुर चंडिका थाना अफजलगढ़ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना अफजलगढ़- थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभि0 1- नरेश पुत्र मेघ राज नि0 ग्राम दल्लीबला थाना अफजलगढ़ 2- मुस्तकीम पुत्र सफीक अंसारी नि0 सुआवाला थाना अफजलगढ़ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हीमपुर दीपा:- थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जोगीऔंधा के वर्तमान प्रधान व पूर्व प्रधान के मध्य समर्थकों के साथ वोट देने और ना देने को लेकर हुये कहासुनी के दृष्टिगत थाना हीमपुर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के कुल 13 लोगो 1- सुखबीर सिंह पुत्र धुम सिंह 2- सुभाष चन्द्र पुत्र स्व0 प्रवीण सिंह 3-

लाखन सिंह पुत्र स्व0 उम्मेद सिंह 4- सत्यवीर सिंह पुत्र स्व0 प्रवीण सिंह 5- नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मूला सिंह निवासी गण ग्राम सिकरोधा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर व पार्टी द्वितीय के 1- जोगेन्द्र पुत्र शिवचरण सिंह 2- अजीत सिंह पुत्र बुन्दू सिंह 3- गजेन्द्र सिंह



पुत्र करण सिंह समस्त निवासी गण ग्राम सिकरोधा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर 4- प्रमोद सिंह पुत्र समरपाल सिंह 5- जितेन्द्र सिंह पुत्र सत्यप्रकाश 6- यशवीर सिंह पुत्र हुकुम सिंह समस्त निवासी गण जोगीओन्धा 7- जयकुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम सिकरोधा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर 8- पोरुष पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम जोगीओन्धा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151/107/116 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।